

**Wel-Come  
To**

**DigiGram Fintech Solutions LLP**

“Digitizing Rural, The Real India”

## CSC Panchayati Raj

पंचायतराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

और

CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया द्वारा क्रियान्वित

“डिजिटल पंचायत परियोजना”

## CSC- SPV क्या है..

- CSC SPV राष्ट्र भर में कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के प्रबंधन और रखरखाव के लिए भारत सरकार के अधीन विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है ।
- CSC SPV डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
- CSC SPV को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MEITY) द्वारा स्थापित किया गया है। एसपीवी के सचिव MEITY SPV के अध्यक्ष हैं और संयुक्त सचिव SPV के बोर्ड में अन्य निर्देशक हैं।
- SPV की हिस्सेदारी का अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास है। SPV का भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया जाता है।
- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत समाज में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा CSC 2.0 के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये। (दि.25.08.2015)

## डिजिटल पंचायत-भारत सरकार के दिशानिर्देश

- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत समाज में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा CSC 2.0 के क्रियान्वयन हेतु दि.25.08.2015 निर्देश दिये गये। CSC2.0 के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों तक ई-सर्विसेस के माध्यम से स्थानीय स्तर पर “एकल खिड़की प्रणाली” से व्यापक रूप से सेवायें उपलब्ध करवाना है।
- भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय का पत्र दिनांक 18.12.2015 – CSC 2.0 के निरंतर क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत भवन में स्थान उपलब्ध कराने व अन्य आवश्यक व्यवस्थायें करने के निर्देश।
- भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय एवं CSC, e-governance Services India Ltd के साथ MOU । CSC केंद्र प्रारंभ किये जाने हेतु आवश्यक राशि RGSA, केंद्रीय वित्त आयोग, अन्य स्रोतों से किये जाने के निर्देश ।

## डिजिटल पंचायत की संकल्पना

### डिजिटल पंचायत की संकल्पना :-

- भारत सरकार और एमओपीआर के विजन को आगे ले जाते हुए, झारखण्ड राज्य ने ग्रामपंचायत में सेवाओं को अगले स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया है। पंचायती राज विभाग, झारखण्ड राज्य ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी प्रकार की केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं के वितरण एवं पंचायत के डिजिटलीकरण के लिए “एकल खिड़की समाधान” के रूप में योजना निर्धारित की है।
- जिसके तहत पंचायतराज और ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार ने राज्य के प्रत्येक ग्रामपंचायत में नागरिक सेवाओं और डिजिटलीकरण के लिए CSC के साथ मिलकर “डिजिटल पंचायत” बनाने का निर्णय लिया है।

## डिजिटल पंचायत परियोजना का उद्देश्य



डिजिटल पंचायत परियोजना ई-गवर्नेंस और डिजिटल पंचायतें संकल्पना को साकार करेगा और यह परियोजना झारखण्ड राज्य में पूरी तरह से राज्य द्वारा शासित और राज्य के नागरिकों के लिए होगा।



डिजिटल पंचायत परियोजना शासन को नागरिकों तक पहुंच को आसान बनाता है तथा डेटा के माध्यम से निर्णय लेने और सेवा वितरण तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ शासन को निगरानी करने में मदद करेगा।



डिजिटल पंचायत परियोजना वन स्टॉप केंद्र होने का वादा करता है जहाँ ग्राम पंचायत की सभी डिजिटल जरूरतों को पूरा कर सकते हैं. ग्रामपंचायत भवन में पंचायतराज विभाग, झारखण्ड के द्वारा संचालित होगा.

## डिजिटल पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली प्रमुख सेवाएं

G2G सेवाएं	B2C सेवाएं	G2C सेवाएं
ई-ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री	समाजिक सुरक्षा पेंशन एवं मजदूरी का भुगतान	यात्रा टिकट सुविधाएँ
ग्राम पंचायत डाटा डिजिटलाईजेशन	जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र	विद्युत् बिल का भुगतान
One Gov पंचायत सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री	खाद्यान पर्ची	बीमा सुविधाएँ
पंचायत के दैनिक रजिस्ट्रो को कंप्यूटरीकृत करना	आय प्रमाण पत्र	बैंकिंग सुविधाएँ/वित्तीय समावेशन
ग्राम पंचायत को पेपरलेस करना	भूमि सीमांकन, भूमि खसरा, खाता नक़ल	घरेलु गैस बुकिंग
पंचायतो हेतु नए सॉफ्टवेयर का निशुल्क निर्माण	फसल बीमा योजना	मोबाइल/ DTH रिचार्ज
आनलाईन कर संग्रहण	प्रधान मंत्री जनधन योजना	आन लाइन सभी सेवाएं
योजनाओं की जियोटेगिंग में सहायता	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना-आवेदन	टेली हेल्थ सेवाएं
शासन प्रशासन को जानकारी प्रेषित करना	प्रधान मंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान	एग्रीकलचर ई-कार्मस सेवायें
विभिन्न शासकीय योजनाओं के सर्वे में सहायता।	आधार कार्ड सेवाएं, पेन कार्ड सेवाएं, पासपोर्ट आनलाईन आवेदन	आयुष्मान कार्ड योजना
डिजीटल साक्षरता अभियान का क्रियान्वयन	विभिन्न परीक्षाओ हेतु आवेदन, शुल्क एवं परिणाम	

## डिजिटल पंचायत परियोजना की कार्यप्रणाली

- डिजिटल पंचायत केंद्र की स्थापना ग्राम पंचायत भवन में की जाएगी।
- डिजिटल पंचायत केंद्र का संचालन एक कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे VLE के नाम से जाना जायेगा
- ये VLE स्थानीय स्तर (उसी ग्रामपंचायत) से चयनित किये जायेंगे और ये पूर्णतः अस्थाई होंगे।
- ग्रामपंचायत द्वारा इसे आवश्यक कंप्यूटर, प्रिंटर, टेबल, चेयर, इन्टरनेट आदि की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- ये डिजिटल पंचायत - एकल खिड़की व्यवस्था की अवधारणा पर कार्य करेगी।
- इन केन्द्रों से नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सभी **G2G**, **G2C** और **B2C** सेवाएं उचित दर पर प्रदान की जाएगी।
- इन केन्द्रों में पंचायत के लिए उपयोगी समस्त दस्तावेजों की डेटा एंट्री सुनिश्चित की जाएगी।
- इन केन्द्रों पर सेवा सूची और सेवा दर सूची को प्रदर्शित की जाएगी, साथ ही साथ सेवा की जानकारी भी दी जाएगी।
- इन VLE का कार्य दिवस पंचायत के कार्य दिवस के अनुरूप ही होगी।
- इन केन्द्रों पर बेनर भी प्रदर्शित होगा जिसमें ग्राम पंचायत एवं VLE का विवरण होगा।
- इन केन्द्रों के माध्यम से दिव्यांग एवं बुजुर्ग व्यक्तियों को घर पहुंच सेवा प्रदान की जाएगी।
- इन केन्द्रों पर भविष्य में सभी विभागों की नागरिक आधारित अतिआवश्यक सेवाओं को भी जोड़ा जायेगा।
- भविष्य में इन केन्द्रों से सेवा के अनुरूप प्राप्त आय का कुछ अंश ग्रामपंचायतों को भी प्राप्त होगा।
- ये केंद्र संचालक (VLE) सचिव और सरपंच के अधीन उनके सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे।

## डिजिटल पंचायत का स्कोप

01

### सेवा वितरण

- एक स्थान पर सभी सेवाएं - ग्रामपंचायत
- पंचायत की सभी सेवाएं एकीकृत सेवाएं - सीएससी की सेवाएं, झार ऑनलाइन की सेवाएं, लोक सेवा केंद्र की सेवाएं.
- गैर एकीकृत - भविष्य के लिए लाइन विभागों के साथ सेवा समेकन करना.

02

### डेटा डिजिटलीकरण

- डेटा डिजिटलीकरण डिजिटलाइजेशन के लिए दिन-प्रतिदिन पंचायत ई.आर.पी.
- झारखण्ड राज्य के पंचायत अधिनियम के अनुसार सभी रजिस्टर और प्रारूप डिजिटलीकरण करना.
- कर रिकॉर्ड और कर मांग का डिजिटलीकरण करना
- ऑनलाइन रिपोर्टिंग- निर्णय लेने के लिए एमआईएस

03


### योजना का समर्थन

- पंचायत की योजनाएं और डेटा समेकन (Integration)
- विभिन्न योजनाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता
- ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं के डेटा समेकन पर वीएलई की भागीदारी
- प्रभावी निगरानी तंत्र जो समय रेखा में प्रगति दिखने में सहयोग होगा.

## डिजिटल पंचायत परियोजना में CSC की भूमिका

### एकीकृत सेवाएं

CSC की सेवाएं  
JH ऑनलाइन की सेवाएं  
ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की सेवाएं.  
अन्य विभागों की सेवाएं जैसे राजस्व/भूमि रिकॉर्ड विभाग, कृषि, सामाजिक न्याय विभाग, मंडी बोर्ड, श्रम, परिवहन आदि की सेवाएं.



CSC की भूमिका राज्य के लिए फैसिलिटेटर, प्रमोटर की होगी।

### पंचायत की सेवाएं


पंचायत स्तर की प्रमाणपत्र (20 प्रमाणपत्र पंचायत अधिनियम के अनुसार )  
चरित्र प्रमाण पत्र, प्रवासन, श्रम प्रमाणपत्र, कर संग्रह, मृत्यु और जन्म पंजीकरण आदि



CSC की भूमिका डेवलपर, प्रमोटर और क्रियान्वयन कर्ता की होगी।

### गैर-एकीकृत सेवाएं

वे सभी सेवाएं जो अभी तक लाइन विभागों के लिए एकीकृत नहीं की जा सकी हैं।  
कोई भी एक समय की सेवाएं जो अन्य विभाग ग्राम पंचायत स्तर पर करना चाहते हैं, जैसे सर्वेक्षण और डेटा संग्रह।



CSC की भूमिका इंटीग्रेटर, प्रमोटर और क्रियान्वयन कर्ता की होगी।

## डिजिटल पंचायत परियोजना से मिलने वाला सहयोग



इस परियोजना के लिए CSC स्वयं सभी राज्य / जिला / ब्लॉक और ग्रामपंचायत स्तर की प्रबंधन टीम के साथ ग्राम पंचायत को डेटा-एंट्री, प्रशिक्षण / जागरूकता और रिपोर्टिंग हेतु सहयोगी के रूप में सक्षम करेगा।

## डिजिटल पंचायत विजन सर्विसेज



### स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेवाएँ

टेली मेडिसिन

हेल्थ किओस्क सेवा

रक्त कलेक्शन केंद्र

दवाइयों का वितरण

घर पहुँच रिपोर्ट

प्राथमरी स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुँच



### कृषि एवं ई-कॉमर्स सेवाएं

कृषक पंजीयन एवं फेसल की ट्रैकिंग

फसल का आंकलन एवं प्रमाणीकरण करना

कृषि सेवा केंद्र के रूप में कार्य

कृषि बीज एवं सामग्री बाज़ार

किराये पर कृषि यंत्र एंड इंफ्रास्ट्रक्चर



### घर पहुँच नागरिक सेवाएं

श्रमिक पंजीयन एवं कौशल ट्रैकिंग

बढ़ई, प्लम्बर आदि सेवाओं की हेतु प्लेटफार्म

पंचायत में सर्वे कार्य

सभी कुशल कामगारों तक पहुँच



### कौशल आधारित रोजगार सृजन

जी.2.जी. जी.2.सी, बी.2. सी सेवाएं.

ग्रा.पं. के डाटा डिजिटाइजेशन कि सेवाएं

पंचायत की योजनाओ का प्रबंधन

पदाधिकारियों के लिए M.I.S. रिपोर्ट

ई-ग्राम स्वराज डाटा का रख रखाव

CSC द्वारा सभी VLE को प्रशिक्षण

इस कार्य में CSC की भूमिका है की इस संकल्पना को, अन्य विभाग के साथ संवाद कर और इसे बड़े पैमाने पर रोलआउट करने के लिए P&RD से अनुमोदन लेकर मॉडल बनाने की है।

## डिजिटल पंचायत से होने वाले लाभ

### ग्राम पंचायत को

- VLE के रूप में तकनीकी प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता.
- पेपरलेस एवं केशलेस ग्राम पंचायत की ओर तीव्रता से अग्रसर.
- सेवाओं से प्राप्त शुल्क/कर संग्रहण में वृद्धि से पंचायत की आय में वृद्धि व आर्थिक सशक्त.
- सहज एवं सुलभता से सेवायें प्रदान कर जन विश्वास अर्जित.
- अभिलेख संधारण में सुधार एवं शासन की ओर त्वरित जानकारी भेजने में आसानी.
- कुशल श्रमिक जैसे- बढई, मिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आदि क चिन्हांकन कर, रोजगार के अवसर देना तथा जरूरतमंद को सेवायें उपलब्ध कराना.
- डिजिटल आत्म निर्भर पंचायत.

### शासन को

- ग्रामीणजनों को स्थानीय स्तर पर ही विभिन्न सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ सुलभता से उपलब्ध होना सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम.
- सेवाओं के विकेन्द्रीकरण से आत्म निर्भर ग्रामीण समाज का विकास.
- पारदर्शिता और शिकायतों में कमी.
- आम जनता का शासन के प्रति विश्वास में वृद्धि.
- डिजीटल इंडिया कार्यक्रम में प्रदेश की प्रभावी भागीदारी.
- त्वरित एवं विश्वस्नीय जानकारी का संग्रहण.
- योजना निर्माण में सहायक.
- कोविड-19 जैसे महामारी बिमारिओ के रोकथाम में सहायक.
- ग्रामीण व्यक्तियों/ युवाओ को प्रत्यक्ष रूप से सम्मानजनक रोजगार के अवसर.
- आर्थिक विकास को गति देने में सहायक. डिजीटल पेमेंट एवं वित्तीय समावेशन में वृद्धि.

### ग्राम पंचायत नागरिको को

- ग्राम पंचायत में ही समस्त सेवायें सुलभता से उपलब्ध.
- सही पात्रताधारी हितग्राहियों को लाभ एवं दुरुपयोग में कमी.
- उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त होना एवं रोजगार के अवसर में वृद्धि.
- विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होना एवं उनका त्वरित एवं सहजता से लाभ.
- शासन के प्रति विश्वास में वृद्धि.
- बिचौलियों व शोषण से मुक्ति.
- समय, श्रम एवं धन की बचत.
- डिजिटल पंचायत से होने वाले लाभ
- ई-साक्षरता में वृद्धि.
- घर पहुँच सेवा.
- आवश्यकता अनुसार 24\*7 सेवायें उपलब्ध.



**Thank You**